न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 50/2011

1. नेमा पुत्र धन्ना जाति रावत निवासी तिलोरा तहसील व जिला–अजमेर।
2. रामपाल पुत्र धन्ना जाति रावत निवासी तिलोरा तहसील व जिला–अजमेर।
3. धन्ना पुत्र अन्ना जाति रावत निवासी तिलोरा तहसील व जिला–अजमेर।

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा, पुष्पेन्द्रसिंह रावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 26.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2068 में अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 270 कुल रकबा 07–00–00 बीघा किस्म बरडा मे से 01–00–00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से कॉटें की बाड लगाकर आम रास्ता(कदीमी) रोककर अतिक्रमण किया गया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार पुष्कर द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 24/2011 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.07.2011 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा सरकार करने के साथ ही शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 20.07.2011 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट संख्या 01 एवं 02 के बुजुर्ग पिता अपीलान्ट संख्या 03 श्री धन्ना पुत्र अन्ना वादग्रस्त आराजी पर 60 वर्ष से काबिज काश्त है। इससे पूर्व उनके पूर्वजों का कब्जा था। मौके पर आज भी अपीलान्ट् संख्या 03 का कब्जा काश्त है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे नोटिस देकर साक्ष्य सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। विवादित आराजी पर अपीलान्ट्स के परिवार के जानवर पूर्वजों के समय से बॉधे जाते रहे है तथा कृषि सम्बन्धी उपकरण भी उसी बाडे में रखते आयें है। बहस जारी रखते हुए वकील अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को दिये गये नोटिस में प्रश्नगत रकबा भूमि को बरडा दर्ज किया गया है, जबकि आदेश में कॉटों की बाड लगाकर कब्जा एवं आमरास्ता रोके जाने का अंकन किया गया है। रेस्पोडेन्ट गैर कानूनी रूप से श्रवण पुत्र अमरचन्द की कय शुदा भूमि जो

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी के आगे है, के लिए रास्ता दिलाने की नियत से नोटिस एवं निर्णय में रास्ते को बन्द किये जाने का उल्लेख किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिक प्रकिया के तहत, जवाब साक्ष्य व जिरह का अवसर प्रदान किये बिना पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.07.2011 प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2011 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिकमियों को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। अपीलान्ट्स द्वारा मौके पर वर्षो पुराने कायम रास्ते को कॉटे की बाड लगाकर, बन्द कर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2011 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner